Form No- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अजअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोलायत

पप्पुराम

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र नं. 28 सन् 2021

अर्न्तगत धारा :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत धारा 136

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिषियलसजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
02-07-2021	यह प्रार्थना पत्र श्री औमप्रकाश आचार्य एडवोकेट ने प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की जावें। सम्मन जारी हों। पत्रावली आयन्द दिनांक 07.07.2021 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला–बीकानेर	
7.7.2021	पत्रावली पेश हुई वास्ते तहसीलदार कोलायत से रिपोर्ट दिनांक 15.7.2021 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला–बीकानेर	
15.7.2021	पत्रावली पेश हुवी। प्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता एंव राज पैरोकार उपस्थित। राज पैरोकार की और से जबाब पेश हुआ। जो शामिल मिसल रहे। प्रार्थी की संयुक्त खाते की कृषि भूमि वाके रोही मोजा नोखडा, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर के खाता सं. 281 में खसरा नं 107 में तादादी 3.2245 हैक्टर व खसरा नम्बर 73 में तादादी 49.252 हैक्टर कुल किता 2 कुला तादादी 52.4768 हैक्टर है। जिसमें प्रार्थी का संयुक्त रूप से 1/54 अविभाजित हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं जिसमें प्रार्थी का नाम लखुराम पुत्र जोराराम का अंकन है के स्थान पर प्रार्थी का नाम पप्पुराम पुत्र जोराराम का अंकन किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एंव सम्बन्धित कृषि भूमि का रिकॉर्ड तथा उसके आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस के दस्तावेजो का आवलोकन किया जिसमें प्रार्थी का नाम पप्पुराम पुत्र जोराराम अंकित है। इसलिए प्रार्थी का नाम उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में शुद्धिकरण किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की जमाबंदी एंव तदआधारित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पप्पुराम पुत्र जोराराम का नाम शुद्धिकरण करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.7.2021 को सुनाया गया। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला–बीकानेर	

Scanned with CamScanner